न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

राजेन्द्र सिंह .... बनाम .... उषा कुमारी

किस्म मुकदमा .... 225 RTA .... मु. नं० .... 06 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
10-1-19	अपील धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय सुरक्षित रखते हुये दर्ज की जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 39/2015 बउनवान उषा कुमार बनाम राजेन्द्र सिंह में दिनांक 13.04.2015 को एक पक्षीय रूप से विवादित भूमि खसरा नम्बर 474,475 ग्राम झाझड के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। इसके उपरान्त दिनांक 22.06.2016 को विचारण न्यायालय ने आदेशिका में आदेश पारित किया जिसमें अंकित किया है कि वकील पक्षकारान व पक्षकारान अनुपस्थित, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है, इसके उपरान्त चार लाईन लिखकर दिनांक 13.04.2015 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को कन्फर्म कर दिया। विधि में यह सुस्थापित व्यवस्था है कि आवेदक अथवा उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर वाद/प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है प्रस्तुत प्रकरण में तो आवेदक एवं अनावेदक दोनों को हाजिर नही होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर उभयपक्ष की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई निर्णय पारित कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्व प्रतीत होता है। अत उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनाक 13.04.2015 एवं 22.06.2016 विधिक प्रावधानो के विपरित होने से इसी स्तर पर अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष 28.02.2019 को अपनी उपस्थिति देवें। निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ को जरिये रजिस्ट्रड डाक भिजवाई जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) 10-1-19 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	